

09.03.21

वकील उभय पक्ष उपर। वकील अपीलान्ट द्वारा दिनांक 12.11.20 को पेश प्रारूप के संगत अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय 07.1.20 के अवलोकन व प्रारूप में अपीलान्ट द्वारा अपील विद्रो करने के निवेदन पर विचार किया। अधिनस्थ न्याया. में औरकार दावा अपील में रवारिज खे-दुका है। उससे संबंधित 212 प्रारूप की अपील का कोई औचित्य नहीं बचता है। अपील प्रभाव हीन खे-दुकी है। अपीलान्ट व अधि अपीलान्ट के हस्ताक्षर कराये गये। अतः अपील पत्रावली प्रभाव हीन में रवारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार - दोकर नम्बर से कम की जावे, बाद कलकरील दारखिल दफतर हो।

भू प्रबन्ध अधिकारी  
पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
भरतपुर (राज.)